पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबन्धक
यांत्रिक कारखाना,गोरखपुर
दिनांक 31.05.2023

संख्या :– यां/301/चार/विविध/टेण्डर

प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे,गोरखपुर।

विषयः– पद्धिति सुधार के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– उपमुसताधि/यांत्रिक,पूर्वोत्तर रेलवे,गोरखपुर का पत्र संख्या यां/एस.एस./14 भाग–VII दिनांक :15.05.2023

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से उपमुसताधि/यांत्रिक,पूर्वोत्तर रेलवे,गोरखपुर द्वारा यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर में वाहय एजेन्सी द्वारा कराये जा रहे 1. De-Wheeling/Stripping of 7440 nos. of FIAT Bogies along with Hiring of 02 nos. of Fork Lift with driver and fuel तथा 2. Dismounting, Mounting, Cleaning and On-Spot testing of water tank perform by the Outer agency on contract basis at MWS, GKP से सम्बन्धित कार्य की सर्तकता जांच निवारक जांच में पायी गयी कमियों में आवश्यक सुधार हेतु दिये सुझाव का अनुपालन निम्नलिखित है:–

कम संख्या	पायी गयी कमियां	सुधार हेतु सुझाव	यांत्रिक कारखाना,गोरखपुर द्वारा अनुपालन
1.	उपस्थिति पंजिका में अंकित श्रमिकों के कार्य दिवस तथा श्रमिक कल्याण पोर्टल पर कर्मचारियों के उपलब्ध कार्य दिवस में भिन्न पायेंगये। जिसके अनुसार फर्म द्वारा कर्मचारियों को वेतन, पी.एफ. तथा ई.एस.आई.सी. का कम भुगतान किया जाना पाया गया।	फर्म द्वारा श्रमिक कल्याण पोर्टल के डाटा का उपस्थिति पंजिका से मिलान कर फर्म द्वारा कर्मचारियों के वेतन, पी.एफ तथा ई.एस.आई.सी. का न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	यांत्रिक कारखाना,गोरखपुर के जागृति कक्ष में उपमुसताधि/यांत्रिक महोदय के साथ हुयी वार्ता (जिसमें उपमुख्य यांत्रिक इंजीनियर/रिपेयर महोदय एवं उपमुख्य यांत्रिक इंजीनियर/वर्क्स महोदय तथा विभिन्न शापों के पर्यवेक्षकगण उपस्थित थे) में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
2.	फर्म द्वारा करारनामें के अनुसार टेक्निकल स्टाफ की निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र (डिप्लोमा/इंजीनियरिंग डिग्री) रेलवे को उपलब्ध कराया जाना नहीं पाया गया।	करारनामे में कर्मचारियों की निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित दस्तावेजों को रेल प्रशासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।	सुनिश्चित किया गया है।
3.	जांच में फर्म कर्मचारियों की उपस्थिति रिकार्ड नियमित रूप से बनाया जाना नहीं पाया गया।	आउटसोर्सिंग के द्वारा कराये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों की उपस्थिति का नियमित रिकार्ड रखा जाना सुनिश्चत किया जाय।	उपस्थिति का नियमित रिकार्ड रखे जाने के लिए सभी शाप पर्यवेक्षकों की काउन्सिलिंग की गयी है।
4.	जांच में करानामा के अनुसार फर्म कर्मचारियों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना नहीं पाया गया।	करारनामा के अनुसार फर्म कर्मचारियों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	सभी फर्मो को बैंक के माध्यम से कर्मचारियों के भुगतान के लिए अवगत कराया गया है।
5.	जांच के समय करारनामा की प्रति शाप फ्लोर पर उपलब्ध नहीं पायी गयी तथा आउट सोर्सिंग कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे पर्यवेक्षकों में करारनामें के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में जागरूकता में कमी पायी गयी।	आउटसोर्सिंग कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे पर्यवेक्षकों को करारनामें में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों के प्रति काउन्सिलिंग किया जाय तथा कार्यस्थल पर करारनामें की प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।	काउन्सिलिंग किया गया, करारनामें की प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।
6.	जांच के समय फर्म के अधिकांश कर्मचारियों के पास सेफ्टी गियर, यूनिफार्म	फर्म कर्मचारियों का यूनिफार्म तथा आई.डी.कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित	सुनिश्चित किया जा रहा है।

सतर्कता कार्यालय
प्राप्ती तिथि 07/07/23
क्रमांक 4

	तथा आई.डी. कार्ड उपलब्ध नहीं पाये गये।	किया जाय तथा संरक्षा की दृष्टि से सेफ्टी गियर की उपलब्धता तथा कार्यस्थल पर फर्म कर्मचारियों द्वारा सेफ्टी गियर का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक

प्रतिलिपिः–

उपमुख्य सर्तकता अधिकारी/यांत्रिक, पूर्वोत्तर रेलवे,गोरखपुर को उनके पत्र संख्या **Z13/V72023/01/01537/PC & Z13/V72023/01/01718/PC Dated 15.05.2023** के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।

3/6/23

मुख्य कारखाना प्रबन्धक